

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अधीन विकसित फूड पार्क में भूमि या भवन के प्रथम विक्रय विलेख या पट्टा विलेख पर प्रभाय स्टाम्प शुल्क से, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम के अधीन गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति की सिफारिश पर, छूट दी जायेगी।

(सं.एफ.2(84)वित्त/कर/2010-122)

राज्यपाल के आदेश से,

Sd-

(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

Jaipur, dated: 25.3.2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the first sale deed or lease deed of the land or building in the Food Park, developed under the Policy for Promotion of Agro-Processing and Agri-Business, 2010, shall be exempted on the recommendation of State Level Empowered Committee constituted under the Rajasthan Investment Promotion Scheme.

[No.F.2(84)FD/Tax/2010-122]

By order of the Governor,

Sd-

(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to Government

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,

"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/2013/5311-5960

दिनांक: 25/3/2013

अधिसूचना क्रमांक एफ.2(84)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 25.03.2013 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)

अतिरिक्त महानिरीक्षक,

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान, अजमेर